

बिहार सरकार  
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग  
कार्यालय आदेश

संख्या – 3/स्था०(2) 07/2024 –

/ पटना – 15, दिनांक –

श्री केशव कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उनकी पत्नी के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) की अध्यक्षता में दिनांक 25.02.2026 को गठित जाँच बोर्ड अंतर्गत उनके पैर की हड्डी पूरी तरह नहीं जुड़े होने के कारण उन्हें बेड रेस्ट हेतु हिदायत दिये जाने के आलोक में दिनांक-20.04.2026 से 18.05.2026 तक कुल 29 दिनों की अवधि के लिए बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 में वर्णित प्रावधानों के तहत उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करते हुए मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवकाश के उपभोग के पश्चात् श्री कुमार के अवकाश लेखा में कुल 07 दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रहेगा।
3. श्रीमती आकृति राज, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्री कुमार के उक्त अवकाश अवधि के दौरान उनके पटल के कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यभारित किया जाता है।
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।

संख्या – 3/स्था०(2) 07/2024 – 2093 / पटना – 15, दिनांक – 04/05/26

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.4.26

सरकार के संयुक्त सचिव।